राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141.5153222ए 5153220ए 5153000 ,आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(3)शिक्षा / ग्रुप–3 / 2023 जयपुर, दिनांकः– 13.04.2023

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023–24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–404.00.0 की अनुपालना में गोगुन्दा(उदयपुर) में नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने तथा बजट मद 2202–03–103–02–00 में निम्नानुसार 29 नवीन पदों के सृजन एवं 01 मशीन विद मैन की सेवायें लिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	नवीन पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	राजकीय कृषि महाविद्यालय, गोगुन्दा (उदयपुर)	अधिष्ठाता / प्राचार्य	01
2		सह–आचार्य	02
3		सहायक आचार्य	10
4		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01
5		सूचना सहायक	01
6		सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	01
7		प्रशासनिक अधिकारी	01
8		वरिष्ठ सहायक	01
9		कनिष्ठ सहायक	01
10		फार्म मैनेजर	01
11		प्रयोगशाला सहायक	03
12		कृषि पर्यवेक्षक	01
13		वाहन चालक*	01(रेक्सको के माध्यम से)
14		मशीन विद मेन**	(01)
15		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04
			29+(01)

*वाहन चालक (ट्रेक्टर चालक) के पद पर सेवानिवृत कार्मिक / रेक्सको के माध्यम से सेवायें प्राप्त की जा सकेगी।

** मशीन विद् मैन ( ) की सेवाएं वित्त विभाग के समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जावेगी।

(1) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में सृजित नवीन पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(2) सोसाइटी के माध्यम से कार्मिकों की उपलब्धता होने तक उक्त नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में / विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित / सोसायटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से / सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक / अनावर्तक व्यय राशि के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(4) उक्त महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए बजट मद 4202–01–203–01–90 में, प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 8.80 करोड़ के व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(5) जब तक महाविद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है, तक वैकल्पिक रूप से महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा के स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्वित करावें तथा आवश्यक होने पर किराये के भवन में भी महाविद्यालय प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(6) उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300699 दिनांक 10.04.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

Signature valid
Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.13 17:01:13 IST
Reason: Approved

राज्यपाल की आज्ञा से,
(…)
उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref No. : 3639626

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
9. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
10. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
11. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 8.80 करोड़ के व्यय किये जाने की उक्त स्वीकृति को AFS Module पर अपलोड करवाया जाना भी सुनिश्चित करावें।
12. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. सम्बन्धित राजकीय कृषि महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature valid
Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.13 17:01:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3639626

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ20(101/15)आयो/आकाशि/2023–24/1488 दिनांकः 17 अप्रैल, 2023

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023–24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–404.00.0 की अनुपालना में गोगुन्दा जिला उदयपुर में नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 13.04.2023 के पृष्ठांकन बाबत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1)विभाग,राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)विभाग,राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति)विभाग,राजस्थान जयपुर।
10. शासन उप सचिव–प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग,राजस्थान जयपुर।
13. कुल सचिव, संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान।
14. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
16. समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेट), कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
17. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी./संयुक्त निदेशक, प्रशासन, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो के सुचारू संचालन हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति की बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार कार्मिकों की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
18. संयुक्त निदेशक, अकादमिक, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यथासमय उक्त नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेट), कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर से समन्वय स्थापित करते हुए सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
19. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन कृषि महाविद्यालय हेतु नियुक्त संबंधित नोडल अधिकारी एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करे।
20. नोडल अधिकारी, संबंधित नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालय के संचालन हेतु संबंधित सहायक निदेशक कार्यालय एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थाई भवन एवं भूमि आंवटन करवाया जाना एवं संबंधित कृषि विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
21. वेबसाइट प्रभारी, आयुंक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
22. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विमलेश सोनी)
संयुक्त निदेशक, आयोजना

Signature valid
Digitally signed by Vimlesh Soni
Designation : Associate Professor
Date: 2023.04.17 1?:12:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3647534